न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2014

1. मु0 राजोदेवी पुत्री भागचंद पत्नी रामेश्वर पुत्र मांगेराम जाति चमार निवासी डाबडी त0 भादरा हाल आबाद कलानौर त0 रोहतक जिला रोहतक हिरयाणा।

:– **वादीया**

ब ना म

1. भागचन्द पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र भागचन्द पुत्र नानूराम जाति चमार नि0 डाबडी त0 भादरा।
3. अंगुरी पुत्री भागचन्द पत्नी नरेशकुमार पुत्र हवासिंह जाति चमार निवासी डाबडी हाल आबाद भिरानी त0 भादरा।
4. उर्मा पुत्री भागचन्द पत्नी बनवारी जाति चमार निवासी डाबडी हाल आबाद मोचीवाला त0 व जिला सिरसा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी की जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता सं0 223/223 के खसरा सं0 109 की 1.1640है0 खसरा सं0 174 की 1.7700है0 खसरा सं0 206 की 3.1230है0 खसरा स0 208/697 की 3.0350है0 कुल 9.0920है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भागचंद के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 भागचंद की बजाय वादीया राजो देवी को 1/20 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है व शेष 4/20 हिस्सा वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 भागचंद के नाम यथावत रखी जाती है। तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/09/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2014

1. मु0 राजोदेवी पुत्री भागचंद पत्नी रामेश्वर पुत्र मांगेराम जाति चमार निवासी डाबडी त0 भादरा हाल आबाद कलानौर त0 रोहतक जिला रोहतक हिरयाणा।

:– **वादीया**

ब ना म

1. भागचन्द पुत्र नानूराम जाति चमार निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. शिवकुमार पुत्र भागचन्द पुत्र नानूराम जाति चमार नि0 डाबडी त0 भादरा।
3. अंगुरी पुत्री भागचन्द पत्नी नरेशकुमार पुत्र हवासिंह जाति चमार निवासी डाबडी हाल आबाद भिरानी त0 भादरा।
4. उर्मा पुत्री भागचन्द पत्नी बनवारी जाति चमार निवासी डाबडी हाल आबाद मोचीवाला त0 व जिला सिरसा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण गर्ग : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 05/08/21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी की जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता सं0 223/223 के खसरा सं0 109 की 1.1640है0 खसरा सं0 174 की 1.7700है0 खसरा सं0 206 की 3.1230है0 खसरा स0 208/697 की 3.0350है0 कुल 9.0920है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भागचंद के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीया के दादा नानूराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानूराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भागचंद ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीया एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। प्रतिवादी सं0 भागचंद की प्रथम शादी श्री गुड्डी देवी पुत्री झिण्डूराम निवासी रेजडी से हुई थी जिससे संतान वादीया का जन्म दिनांक 10–05–1975 को हुआ उसके बाद गुड्डीदेवी की मृत्यु दिनांक 05.04.1976 को हो गई। गुड्डीदेवी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 भागचंद ने विमला पुत्री मानसिंह से दूसरी शादी कर ली। जिससे वारिस प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के रूप में पक्षकार है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया 1/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। वादीया अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, लोन आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया, बार बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजोदेवी पुत्री भागचंद पत्नी रामेश्वर के द्वारा प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपित जमाबंदी रोही डाबडी खाता सं0 223/223 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही डाबडी संवत 2038 प्रदर्श 2, असल मृत्यु प्रमाण पत्र फुलीदेवी प्रदर्श 3 व चित्रप्रति मृत्युप्रमाण पत्र फुलीदेवी प्रदर्श 3ए, तस्दीक ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक अनुतोष में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीया डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने रोही डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपित जमाबंदी रोही डाबडी खाता सं0 223/223 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही डाबडी संवत 2038 प्रदर्श 2, असल मृत्यु प्रमाण पत्र फुलीदेवी प्रदर्श 3 व चित्रप्रति मृत्युप्रमाण पत्र फुलीदेवी प्रदर्श 3ए, तस्दीक ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये जिसमें प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण के अनुसार भागचन्द के एक पुत्र शिवकुमार व तीन पुत्रीयां राजोदेवी, अंगुरी, उर्मा तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीया साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी की जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता सं0 223/223 के खसरा सं0 109 की 1.1640है0 खसरा सं0 174 की 1.7700है0 खसरा सं0 206 की 3.1230है0 खसरा स0 208/697 की 3.0350है0 कुल 9.0920है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 भागचंद के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 भागचंद की बजाय वादीया राजो देवी को 1/20 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है व शेष 4/20 हिस्सा वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 भागचंद के नाम यथावत रखी जाती है। तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner